न्यायालय श्रीमान विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मेरठ

परिवाद संख्या 24/2020

कैपटाऊन एशोसियेशन ऑफ़ अपार्टमेंट ओनर्स ..... परिवादी

बनाम

मेसर्स सुपरटैक लिमिटेड और अन्य ..... विपक्षीगण

महोदय,

निवेदन है कि वर्तमान परिवाद कैपटाऊन एशोसियेशन ऑफ़ अपार्टमेंट ओनर्स द्वारा स्वयं को पंजीकृत व निर्वाचित पदाधिकारी होने के आधार पर माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। एशोसियेशन द्वारा अपने कथन के समर्थन मे शपथ पत्र भी दाखिल किया है। इस संबध मे श्रीमान जी को अवगत कराना है कि उपरोक्त एशोसियेशन का कार्यकाल दिनाक 02.03.2020 को समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान मे दिनांक 02.03.2020 के उपरान्त से न तो कोई चुनाव हुआ है तथा न ही कोई कमेटी बनी है। प्रश्नगत एशोसियेन को वर्तमान परिवाद को दायर करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वे परिवाद दायर करते समय न तो पंजीकृत तथा न ही मनोनित पदाधिकारी है तथा न ही उनको कानूनन किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त है।

उक्त एशोसियेशन द्वारा नोयडा आथर्टी मे गलत व झूठे आधार पर व तथ्यो को छिपाते हुये मैन्टीनेन्स के हैण्ड ओवर का आदेश प्राप्त कर लिया था जिसके विरुद्ध जबाब दाता द्वारा माननीय सिविल जज (वरिष्ट संवर्ग) गौतमबुद्धनगर के न्यायालय मे एक मूल वाद संख्या 445/2020 सुपरटैक लिमिटेड बनाम कैपटाऊन एशोसियेशन ऑफ़ अपार्टमेंट ओनर्स दायर किया जिसमे माननीय सिविल जज द्वारा दिनांक 02.09.2020 को सुनवाई कर आदेश पारित किया तथा वर्तमान एशोसियेशन को यू पी अपार्टमेन्ट एक्ट के विपरित मानते हुये हैण्डओवर की बाबत स्टे आदेश प्रदान किया जिसकी प्रति साथ मे संलग्न है। वर्तमान परिवाद भी उसी एशोसियेशन द्वारा कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त दायर किया है जिसको दायर करने के लिये कानूनन उत्तरदायी नही है जिस कारण एशोसियेशन द्वारा दायर परिवाद पूर्ण रुप से कानूनन पोषणीय नही है। एशोसियेशन द्वारा इस तथ्यो को माननीय न्यायालय से छिपाते हुये वर्तमान परिवाद योजित किया है जोकि concealment of facts की परिभाषा मे आता है तथा धारा 340 सीआरपीसी के तहत दण्डनीय अपराध है। स्पष्ट है कि परिवादी स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय नही आया है तथा तथ्यो को छिपाकर परिवाद योजित किया है। परिवादी को वर्तमान परिवाद को दायर करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है जिस कारण परिवादी का परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अत श्रीमान जी से प्रार्थना है कि परिवादी के परिवाद को इसी स्तर पर पोषणीयता के आधार पर निरस्त फरमाने की कृपा करे।

दिनांक

जबाबदाता

(विपक्षी संख्या 1 व 2)

द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति